



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01 / यो०ब०-०७ / २०२०-२१

दिनांक : ०४/०२/२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल रु० 67.819 लाख (सड़सठ लाख इकासी हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-३२ / २०२०-२२ / स्वी० व०प० दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / यो०ब०-३२ / २०२०-३७ / आ० व०प० दिनांक 21.01.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-७९६ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-५८-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 67.819 लाख (सड़सठ लाख इकासी हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	47.955
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	19.864
कुल :-		67.819

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२, स्थल विवरणी अनुलग्नक-३ तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-४ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103 एवं 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-२५६१, दिनांक-१७.०४.१९९८ एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

N

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवरिधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राकलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का व्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक रथाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।



(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैंडवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड़डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया



जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- ०१ / यो०ब०-०७ / २०२०- ७७ दिनांक-०४/०२/२१

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / यो०२०-०७ / २०२०-८८ दिनांक— ०४/०२/२१

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेठो) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			47955.10	19864.36	67819.46
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	100	47.955	19.864	67.819
योग :-		100	47.955	19.864	67.819



अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर : 295.80 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरण	हेक्टेक्टर	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	पूर्ण कार्य (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3.00	887.40	0.00	887.40	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेक्टेक्टर	7.00	2070.60	0.00	2070.60	
3	घेरान कार्य -			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हेक्टेक्टर	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हेक्टेक्टर अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पथर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टेक्टर (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेक्टेक्टर	36.50	10796.70	0.00	10796.70	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेक्टेक्टर	16.50	4880.70	0.00	4880.70	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विस्तारीय स्थानीय पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर दृश्य में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग- 90, कंटूर ट्रैच साईंज 5 मीटर x 0.30 x 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोडनी कर रखा जाना	हेक्टेक्टर	55.00	16269.00	0.00	16269.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य		32.12	9501.10	3942.62	13443.72	
	योग-		162.12	47955.10	19864.36	67819.46	

नोट (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्रम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्प्स (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रथम मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

अनुलेनक-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यालय की जानेवाली “अधिसूचित वनमूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय सेत्र उपयाजना) के अन्तर्गत वनमूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमणित का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को०-ओ०डिनेटस	ज्लॉट संख्या	रक्खा हेक्टेक्टर में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमणित, सिमडेगा	साठवां प्रक्षेत्र, धाघरा	धाघरा	धाघरा-36	लपसर		1, 427, 438	50
					धाघरा-37	नान्हुर		24	50
									100

योग :-

अपर प्रधान मुख्य कन संसदक, विकास शास्त्रज्ञान, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नाकित दराएं गए बजट शोर्ख के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-07/2020/77

दिनांक -

04-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	75025	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	4,795,500.00 रुपये सौलालीस लाख पिन्चानवे हजार पौंच सौ
2	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	75027	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ
				6,781,900.00
योग:				6,781,900.00
क्रमिक योग:	रुपये सड़सठ लाख इक्कायासी हजार नौ सौ			

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND